न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 355/2022

अनवान मुकदमा -

1. मनफूल पुत्र भोमाराम जाति स्वामी (बैरागी) निवासी बडोपल हाल झूरियांवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

-- वादी

बनाम

1. भोमाराम पुत्र प्रहलाद जाति स्वामी (बैरागी) निवासी बडोपल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. मालीदेवी पत्नी भोमाराम जाति स्वामी (बैरागी) निवासी बडोपल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. रोमती पुत्री भोमाराम पत्नी हंसराज जाति स्वामी (बैरागी) निवासी 16 बी.एन.डब्ल्यू. तहसील व जिला गंगानगर (राजस्थान)।
4. चतुर्भुज पुत्र भोमाराम जाति स्वामी (बैरागी) निवासी बडोपल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
5. रोशनी पुत्री भोमाराम जाति स्वामी (बैरागी) निवासी 7 ए.पी. ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
6. कृष्णा पुत्री भोमाराम पत्नी इन्द्राज जाति स्वामी (बैरागी) निवासी 7 ए.पी. ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. श्री धन्नाराम अधिवक्ता -- वादी
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा -- प्रतिवादी सं. 7

-:: निर्णय :-

दिनांक -23/04/22

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में अकिंत किया गया है। वाद पत्र में वादी ने अपने परिवार का सजरा खानदान पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के च[illegible] 9 बी[illegible]र.पी. के खाता संख्या 50 के प.न. 45/362(37) के किला नं. 11, 16/1 ता 25/2 की [illegible] प.नं. 45/363 (44) के किला नं. 4/2/0.139, 5, 6, 15 की 0.898 हैक., प.नं. 46/363 (43) के कि.नं. 1/3[illegible], 1/4/0.025, 1/5/0.013 की 0.114 हैक्ट. इस प्रकार तीनों [illegible]स्थरो की कुल 3.795 हैक्ट. नाली प्रथम गै.मु. रास्ता, कुआं सिंचाई में 1/3 हिस्सा यानि 1.265 हैक्टेयर नाली प्रथम गै.मु. कुआं

23/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सिंचाई खातेदारी कृषि भूमि वारदी के पिता प्रतिवादी संख्या । भोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति स्वामी (बैरागी) निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां जमाबन्दी संलग्न की गई है।

वादपत्र की मद सं 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं. । को वादी के दादा प्रहलादराम से विरासतन में मिली है। जिसमें वादी का प्रतिवादी सं. । के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं. । ता 6 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी सं. । ता 6 ने अपना समस्त हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है। इस प्रकार वादी को घरू बंटवारा में तहसील पीलीबंगा के चक 9 बीआरपी के खाता संख्या 50 के प0न0 45/362(37) के कि0न0 11, 16/1 ता 25/2 की 2.783 है0 व प0न0 45/363(44) के कि0न0 4/2/0.139, 5, 6, 15 की 0.898 है0 व प0न0 46/363(43) के कि0न0 1/3/0.076, 1/4/0.025, 1/5/0.013 की 0.114 है0 इस प्रकार तीनों पत्थरों की कुल 3.795 है0 नाली प्रथम गै0मु0 खाला रास्ता, कृआं सिंचाई खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादी शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. । के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

प्रतिवादी सं. । (भोमाराम) के नाम चक 8 एसटीबी में 9 बीघा व प्रतिवादी सं. 4 (चतुर्भुज) के नाम चक 8 बीआरपी के प0न0 43/363 की 1.417 है0 भूमि पूर्व में घरू बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है जिस पर प्रतिवादी सं 1 व 4 शांतिपूर्वक काबिज है। दफा 3 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

वादी (मनफूल) को तहसील पीलीबंगा के चक 9 बीआरपी के खाता संख्या 50 के प0न0 45/362(37) के कि0न0 11, 16/1 ता 25/2 की 2.783 है0 व प0न0 45/363(44) के कि0न0 4/2/0.139, 5, 6, 15 की 0.898 है0 व प0न0 46/363(43) के कि0न0 1/3/0.076, 1/4/0.025, 1/5/0.013 की 0.114 है0 इस प्रकार तीनों पत्थरों की कुल 3.795 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.01.2022 को वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध हो[illegible] राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं[illegible] हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्बन्ध में [illegible] 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआई[illegible] 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

23/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पंति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 बीआरपी के खाता संख्या 50 के प0न0 45/362(37) के कि0न0 11, 16/1 ता 25/2 की 2.783 है0 व प0न0 45/363(44) के कि0न0 4/2/0.139, 5, 6, 15 की 0.898 है0 व प0न0 46/363(43) के कि0न0 1/3/0.076, 1/4/0.025, 1/5/0.013 की 0.114 है0 इस प्रकार तीनों पत्थरों की कुल 3.795 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार हो तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

23/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा